

प्रेषक,
आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- | | |
|--|---|
| 1- आयुक्त,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले
विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून। | 4- महाप्रबन्धक,
भारतीय खाद्य निगम,
उत्तराखण्ड, देहरादून। |
| 2- जिलाधिकारी,
ऊधमसिंह नगर/हरिद्वार/चम्पावत/
देहरादून/पौड़ी/नैनीताल। | 5- निदेशक,
मण्डी परिषद, उत्तराखण्ड,
रुद्रपुर। |
| 3- संभागीय खाद्य नियंत्रक,
गढवाल संभाग, देहरादून/
कुमायूँ संभाग, हल्द्वानी। | 6- प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड राज्य सहकारी विपणन
संघ लि०, उत्तराखण्ड, देहरादून। |

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग-2 देहरादून, दिनांक 12 अक्टूबर, 2018
विषय : खरीफ-खरीद सत्र 2018-19 में विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत न्यूनतम मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत कच्चा आढ़तिया (कमीशन एजेन्ट) के माध्यम से धान खरीद हेतु निर्गत नीति में संशोधन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर के पत्र सं० 9580/एस०टी० नजूल धान खरीद(13)/2018 दिनांक 02.10.2018 एवं खाद्यायुक्त कार्यालय के पत्र सं० 1776/आ०वि०शा०/खरीफ खरीद/2018-19 दिनांक 03.10.2018 के संदर्भ में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खरीफ-खरीद सत्र 2018-19 में विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत न्यूनतम मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत कच्चा आढ़तिया (कमीशन एजेन्ट) के माध्यम से धान खरीद हेतु शासनादेश सं० 669/18-XIX-2/41 खाद्य/2018 दिनांक 26.09.2018 द्वारा निर्गत नीति में उल्लिखित, कॉलम-1 के वर्तमान प्राविधान को संशोधित करते हुये उसके सम्मुख कॉलम-2 के अनुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

क्र० सं०	वर्तमान प्राविधान कॉलम-1	एतद्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान कॉलम-2
1	प्रस्तर 4(2)- मण्डी समिति द्वारा लाईसेन्स प्रदत्त कच्चा आढ़तिया (कमीशन एजेन्ट) को सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक	प्रस्तर 4(2)- मण्डी समिति द्वारा लाईसेन्स प्रदत्त कच्चा आढ़तिया (कमीशन एजेन्ट) को सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक कार्यालय में अपना

<p>कार्यालय में अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकृत होने उपरान्त ही उन्हें धान खरीद हेतु खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सब-एजेन्ट के रूप में अधिकृत किया जायेगा। इस हेतु कच्चा आढ़तियों को सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा केन्द्रवार एक कोड नम्बर भी आवंटित किया जायेगा।</p> <p>पंजीकरण के समय प्रत्येक कच्चा आढ़तिया से धनराशि रूपये 5.00 लाख (पाँच लाख मात्र) की एफ0डी0आर0 जो कि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत की गई हो तथा सम्भागीय खाद्य नियंत्रक के नामे बंधक हो, प्रतिभूति के रूप में जमा करायी जानी अनिवार्य होगी ।</p>	<p>पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकृत होने उपरान्त ही उन्हें धान खरीद हेतु खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सब-एजेन्ट के रूप में अधिकृत किया जायेगा। इस हेतु कच्चा आढ़तियों को सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा केन्द्रवार एक कोड नम्बर भी आवंटित किया जायेगा।</p> <p>यदि कच्चा आढ़तिया को धान क्रय के पश्चात चयनित चावल मिलों को हस्तगत कराने उपरान्त भुगतान किया जाना हो तो, पंजीकरण के समय प्रत्येक कच्चा आढ़तिया से धनराशि रूपये 10.00 लाख (दस लाख मात्र) की एफ0डी0आर0 जो कि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत की गई हो तथा सम्भागीय खाद्य नियंत्रक के नामे बंधक हो, प्रतिभूति के रूप में जमा करायी जानी अनिवार्य होगी ।</p>
<p>2 प्रस्तर 5(1)– कृषकों द्वारा विक्रय हेतु लाये गये धान की मण्डी परिसर में उपस्थित व्यापारियों के समक्ष खुली बोली लगाने की व्यवस्था मण्डी समिति द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।</p>	<p>प्रस्तर 5(1)– कृषकों द्वारा विक्रय हेतु लाये गये धान की मण्डी परिसर में अथवा जिन मण्डी परिसर/यार्ड में खुली नीलामी हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है वहां पर मण्डी परिसर के बाहर सम्बन्धित मण्डी परिक्षेत्र में भी निदेशक/सचिव, मण्डी को संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर स्थान चिन्हित करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है।</p>
<p>3 प्रस्तर 7(3)–विभाग के पास उपलब्ध नये एस0बी0टी0 यदि पूर्ण रूप से धान क्रय में प्रयुक्त हो जाते हैं तथा धान क्रय हेतु बोरों की कमी होती है तो ऐसी विषम परिस्थितियों में ही कच्चा आढ़तिया/चावल मिलर्स निर्धारित बी0आई0एस0 मानकों के नये एस0बी0टी0 की व्यवस्था सम्भागीय खाद्य नियंत्रक की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त अपने स्तर से करना सुनिश्चित</p>	<p>प्रस्तर 7(3)– विभाग के पास उपलब्ध नये एस0बी0टी0 यदि पूर्ण रूप से धान क्रय में प्रयुक्त हो जाते हैं तथा धान क्रय हेतु बोरों की कमी होती है तो ऐसी विषम परिस्थितियों में ही कच्चा आढ़तिया/चावल मिलर्स निर्धारित बी0आई0एस0 मानकों के नये एस0बी0टी0 की व्यवस्था सम्भागीय खाद्य नियंत्रक की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त अपने स्तर से करना सुनिश्चित करेगें जिसकी प्रतिपूर्ति कोलकाता से प्राप्त बोरों से सुनिश्चित की</p>

	करेंगे जिसकी प्रतिपूर्ति कोलकाता से प्राप्त बोरों से सुनिश्चित की जायेगी।	जायेगी। अपरिहार्य परिस्थितियों में कच्चा आढ़तिया/चावल मिलर्स द्वारा उपलब्ध कराये गये नये एसबीटी के मूल्य की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा राज्य हेतु खरीफ खरीद सत्र 2018-19 के लिये जारी कॉस्टिंग शीट के अनुरूप सुनिश्चित की जायेगी।
4	<p>प्रस्तर 08(4)—कच्चा आढ़तिया द्वारा क्रय किया गया धान कुटाई हेतु वरिष्ठ विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक के माध्यम से चयनित चावल मिल को हस्तगत कराने उपरान्त भुगतान प्राप्त करने हेतु वरिष्ठ विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक को 9 आर (कच्चा आढ़तिया के बिल) प्रस्तुत करना होगा, जिसमें कृषकों से धान खरीद की पुष्टि हेतु 6 आर की स्वप्रमाणित छायाप्रति, कृषक को किये गये आर0टी0जी0एस0/एकाउण्ट पेई चैक की रसीद, मण्डी शुल्क के भुगतान सम्बन्धी साक्ष्य तथा क्रय धान से निर्मित सी0एम0आर0 के प्रेषण एवं प्राप्तकर्ता स्टेटपूल डिपो प्रभारी की प्राप्ति सम्बन्धी मूल मूवमेन्ट चालान संलग्न किये जाने अनिवार्य होंगे।</p> <p>सम्बन्धित वरिष्ठ विपणन अधिकारी/ विपणन निरीक्षक द्वारा प्राप्त विपत्रों का परीक्षण/पुष्टि करने के उपरान्त ही अपनी संस्तुति सहित इन्हे भुगतान हेतु सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी के कार्यालय में प्रेषित किया जायेगा तथा केन्द्र पर मिलवार/कच्चा आढ़तियावार पंजिका तैयार की जायेगी।</p> <p>सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी द्वारा केन्द्रों से विपत्र प्राप्त होने पर कच्चा आढ़तिया के पक्ष में विलम्बतम 01 सप्ताह</p>	<p>प्रस्तर 08(4)—कच्चा आढ़तिया द्वारा क्रय किया गया धान कुटाई हेतु वरिष्ठ विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक के माध्यम से चयनित चावल मिल को हस्तगत कराने उपरान्त भुगतान प्राप्त करने हेतु वरिष्ठ विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक को 9-आर (कच्चा आढ़तिया के बिल), कृषकों से धान खरीद की पुष्टि हेतु 6-आर की स्वप्रमाणित छायाप्रति (जिसमें समस्त प्रविष्टियों का अनिवार्य रूप से अंकन हो), कृषक को किये गये आर0टी0जी0एस0/एकाउण्ट पेई चैक के माध्यम से किये गये भुगतान की प्राप्ति रसीद, मण्डी शुल्क, मण्डी लेबर चार्जेज के भुगतान सम्बन्धी समस्त साक्ष्य संलग्न किये जाने अनिवार्य होंगे।</p> <p>सम्बन्धित वरिष्ठ विपणन अधिकारी/ विपणन निरीक्षक द्वारा प्राप्त विपत्रों का परीक्षण/पुष्टि करने के उपरान्त ही अपनी संस्तुति सहित इन्हे भुगतान हेतु सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी के कार्यालय में प्रेषित किया जायेगा तथा केन्द्र पर मिलवार/कच्चा आढ़तियावार पंजिका तैयार की जायेगी।</p> <p>सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी द्वारा केन्द्रों से भुगतान हेतु प्राप्त विपत्रों के परीक्षणोपरान्त ही कच्चा आढ़तिया के पक्ष में विलम्बतम 01 सप्ताह में ई-पेमेन्ट/एकाउण्ट पेई चैक के माध्यम से आयकर अधिनियम-1956 के अधीन सुसंगत नियमों के अधीन आयकर की कटौती कर भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।</p>

	<p>में ई-पेमेन्ट/एकाउंट पेई चैक के माध्यम से आयकर अधिनियम-1956 के अधीन सुसंगत नियमों के अधीन आयकर की कटौती कर भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।</p>	
--	---	--

2- शासनादेश सं0 669/18-XIX-2/41 खाद्य/2018 दिनांक 26.09.2018 के शेष प्राविधान एवं शर्तें यथावत् लागू रहेगी।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन),
प्रमुख सचिव

संख्या 694 (i)/18-XIX-2/41 खाद्य/2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
- 2- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाँयू मण्डल, नैनीताल।
- 5- महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, उत्तराखण्ड।
- 6- क्षेत्रीय प्रबन्धक, राज्य/केन्द्रीय भण्डारण निगम, उत्तराखण्ड द्वारा खाद्यायुक्त।
- 7- वित्त नियन्त्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग,, उत्तराखण्ड।
- 8- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी विपणन संघ लि0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 9- सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी, गढ़वाल सम्भाग/कुमाँयू सम्भाग।
- 10- एनआईसी/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार पाण्डे),
अनु सचिव